(2008) 1 एस. सी. आर. 709

तुलसा और अन्य

बनाम

दुर्घतिया और अन्य

( 2002 का सी. ए. सं. 648)

15 जनवरी, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे. जे.)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 एस.एस. 50 और 114- एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह के बारे में धारणा का दायरा माना गया। विवाह के कार्य को प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम और पार्टियों के आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम से माना जा सकता है। जहां साझेदार लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे, विवाह के पक्ष में अनुमान होगा। अनुमान का खंडन किया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति पर भारी बोझ पड़ता है जो यह साबित करना चाहता है कि कोई विवाह नहीं हुआ।

प्रश्न में संयुक्त पैतृक संपत्ति मूल रूप से प्रतिवादी नंबर 1 के पति और उसके दो भाईयों, 'आर' और 'एस' के स्वामित्व में थी। 'आर' और 'एस'

की मृत्यु के बाद, उक्त संपत्ति के संबंध में एक विक्रय विलेख अपीलकर्ता नंबर 1 की मां 'एल' के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

उत्तरदाताओं ने इस आधार पर संपत्ति के एकमात्र स्वामित्व का दावा करते हुए विलेख को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया कि 'आर' और 'एस' की मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के हो गई थी और 'एल' केवल 'आर' की मालकिन थी।

इसके विपरीत, 'एल' ने यह कहते हुए संपत्ति में अधिकार का दावा किया कि वह 'आर' की विधवा थी और उससे उसके बच्चे हैं।

ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि 'आर' और 'एल' के बीच वैध विवाह की धारणा थी क्योंकि वे दशकों से एक साथ रहते थे और उनकी बेटियों का विवाह 'आर' द्वारा की गई थी। कोर्ट ने माना कि 'एल' ने 'आर' से उसके पहले पति 'एम' की मृत्यु के बाद शादी की। प्रथम अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ऐसा था वैध विवाह का कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि 'एल' ने 'एम' के जीवन काल के दौरान 'आर' के साथ रहना शुरू कर दिया था। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निर्धारित कियाः

1. प्रथम अपीलीय न्यायालय बिना किसी के साक्ष्य या सामग्री अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 'एल' ने 'एम' के जीवनकाल के दौरान 'आर' के साथ रहना शुरू कर दिया। वहाँ किसी भी सामग्री के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है। ऐसे निष्कर्ष के लिए आधार प्रथम अपीलीय अदालत आयोजित हुई, डी. डब्ल्यू. 2 जिसका जन्म 'एल' और 'एम' से हुआ था, ने कहा कि वह बहुत छोटा था जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, और जब वह छोटा था तब उसकी माँ चली गई थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि' ' ' ' ' '

रहा था। यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत है। डी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब 'एल' आया और 'आर' के साथ रहा तो 'एम' जीवित नहीं था। (पैरा 4,8) (714-ई, एफ; 716-बी, सी, डी)

2.1 . भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 उल्लेख करता है - प्राकृतिक घटनाओं का सामान्य क्रम, मानव आचरण और निजी व्यवसाय। अदालत किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकती है जो उसे लगता है कि होने की संभावना है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 और साक्ष्य के 114 के प्रावधानों को एकसाथ पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि विवाह के कार्य को प्राकृतिक घटनाओं और पार्टियों के आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम से माना जा सकता है। क्योंकि वे किसी विशेष मामले के तथ्यों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। (पैरा 9) (716-डी, ई, एफ)

2.2 . जहाँ साथी लंबे समय तक पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे, वहाँ अनुमान लगाया जाएगा विवाह के पक्ष में धारणा होगी। अनुमान का खंडन योग्य था, लेकिन उस व्यक्ति पर भारी बोझ पड़ता है जो यह साबित करने के लिए रिश्ते को कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है कि कोई विवाह नहीं हुआ था। कानून वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीनेपन पर नाराजगी जताता है। (पैरा 13) (717-सी, डी)

2.3 'एल' और 'आर' का निरंतर एक साथ रहना है स्थापित किया गया। वस्तुतः वादी द्वारा परीक्षित गवाहों के साक्ष्य से भी ये तथ्य स्पष्ट हुआ। प्रथम अपीलीय अदालत का यह निष्कर्ष कि 'एम' जीवित था तब वे एक साथ रह रहे थे। स्थापित नहीं किया गया। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 'एम' की मृत्यु के बाद 'एल' और 'आर' एक साथ रह रहे थे। (पैरा 15) (717-जी; 718-ए)

बद्री प्रसाद बनाम डी. समेकन निदेशक और अन्य ए. आई. आर. (1978) एस. सी. 1557-पर निर्भर।

ए. दिनोहामी बनाम डब्ल्यू. एल. ब्लाहमी एयर (1927) पी. सी. 185; मोहब्बत अली बनाम मो. इब्राहिम खान एयर (1929) पी. सी. 135 और गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 331 का उल्लेख किया गया है।

3. प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया जाता है। (पैरा 16) (718-बी)

सिविल न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 648/2002

निर्णय और अंतिम आदेश दिनांकित 20.6.2000 से जो कि जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एस. ए. सं. 451/1988 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों के लिए प्रकाश श्रीवास्तव।

प्रतिवादियों के लिए शिव प्रकाश पांडे और राज कुमार तंवर।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में चुनौती यह है कि जबलपुर में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता ) की धारा 100 के तहत अपील सिविल अपील संख्या 138-ए में विद्वान द्वितीय जिला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सतना द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 29.10.1988 के खिलाफ निर्देशित की गई थी। 1987 प्रथम अपीलीय के समक्ष अपील प्रथम अपील (2008) 1 एस. सी. आर. के समक्ष अपील 1982 के सिविल सूट संख्या 52-ए में विद्वान द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग 1 सतना द्वारा पारित

निर्णय और डिक्री दिनांक 26.04.1985 के खिलाफ एक अदालत को निर्देशित किया गया था। विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए यहां प्रतिवादियों द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। दिनांक 10.9.1980 और भूमि के स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी एस. आई. नं. 4009, 4010, 4011 और 4014 बिक्री विलेख दिनांकित 10.9.1980 एस. एल. में भूमि के संबंध में था। नं. 3853, 3993, 4002, 4003, 4004, 4009, 4010, 4014, 4015 और मौज़ा का 4021 नयागांव, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना के अनुसार विवादित संपत्ति राधिका सिंह, सुंदर सिंह और वादी नंबर 1 के पति, दादौ सिंह की संयुक्त पैतृक संपत्ति है जो अन्य दो वादी श्रीमती रानी और श्रीमती बुतान के पिता थे। वंश गोपाल के तीन बेटे थे, राधिका सिंह, सुंदर सिंह और दादाउ सिंह। सुंदर की मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी के हो गई थी। राधिका सिंह और सुंदर के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ था। राधिका, सुंदर और दादाउ सभी संयुक्त रूप से खेती करते थे। चूंकि कानूनी उत्तराधिकारी को छोड़े बिना ही राधिका और सुंदर की मृत्यु हो गई, वादी संपत्ति के एकमात्र मालिक बन गए। लोली, मूल प्रतिवादी नंबर 1 मंगल कच्छी की पत्नी है और उनकी बेटी तुलसा बाई, वर्तमान अपीलार्थी का जन्म हुआ था। मृतक राधिका सिंह ने प्रतिवादी नंबर 1 को अपने घर में मालकिन के रूप में रखा और उसे साथ लेकर कहीं और चला गया। कई वर्षों के बाद वापस आया। उन्होंने तीन बेटियों विद्या, बदानिया और रजनीया को जन्म दिया। प्रतिवादी नंबर 1 जाति से कछिया थी और मृतक

राधिका सिंह की सगी थी इसलिए उसे संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं था। राधिका की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नंबर 1 बद्री प्रसाद पाण्डे के साथ रह रहा था। बद्री प्रसाद ने जमीन हड़पने की नियत से विवादित संपत्ति का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष बिक्री विलेख निष्पादित किया गया। वादीगण का कब्जा है। उन्हें लेन-देन के बारे में पता चला जब प्रतिवादी 2 से 4 ने अपने नाम पर भूमि के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और तभी पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था और भूमि वादी संख्या 1 से 3 के कब्जे में थी। दिनांक 17.12.1984 को वादी को सूचना मिली कि प्रतिवादी 2 और 3 के पास कुछ भूमि है जिनके नाम बदले गए, इसलिए मुकदमा दायर किया गया था। अभियुक्तों द्वारा दायर लिखित बयान में यह रुख अपनाया कि वादी द्वारा इंगित पारिवारिक वृक्ष सही था। दुर्घटिया के परिवार के स्वामित्व वाली 12 एकड़ भूमि में से वादी संख्या 1 ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। इसके बारे में 30 साल पहले सुंदर और दादाऊ के बीच विभाजन हुआ था। दादाऊ अपना हिस्सा लेने के बाद अलग हो गए थे। उन्हें कुछ गाँवों में ज़मीन मिली। राधिका और सुंदर संयुक्त रूप से जिस भूमि में वे रहते थे उस पर खेती करते थे। वर्ष 1970 में एक साथ रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वादी दुर्घातिया और राधिका ने अपने जीवनकाल के दौरान मालिक की हैसियत से अपनी जमीन बेच दी थी। सुंदर ने शादी नहीं की थी और न ही उसने शादी की थी। प्रतिवादी नंबर 1 राधिका की विधवा है। उन्हें पांच बेटियां और एक

बेटा हुआ जिनमें से एक बेटा और एक बेटी की मौत हो गई। सबसे बड़ी बेटी तुलसा और छोटी बेटी का विवाह राधिका ने कराया था। वादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 1 को अपनी जेठानी मानती थी। राधिका और प्रतिवादी नंबर 1 पति और पत्नी के रूप में तीस साल तक एक साथ रहे। इसलिए, उसकी पत्नी के रूप में संपत्ति पर उसका वैध दावा था। यह भी विवादित था कि प्रतिवादी नं. 1 प्रतिवादी 2 से 5 के साथ रह रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी को जमीन 2, 3 और 4 को बेच दी थी और कब्जा भी दे दिया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी बेटी की शादी पर कर्ज लिया था और उस उद्देश्य के लिए उसने जमीन बेच दी। उसने दावा किया कि उसे जमीन बेचने का अधिकार है और इसलिए अवैध कब्जा करने का कोई सवाल ही नहीं है। निचली अदालत द्वारा 4 महत्वपूर्ण मुद्दे तय किये गये थे और महत्वपूर्ण मुद्दे को मुद्दा संख्या 2 के रूप में तैयार किया गया था जो इस प्रकार हैः

"क्या प्रतिवादी नंबर 1 राधिका सिंह की पत्नी थीं ?

सवाल का जवाब हां में दिया गया। इसके बाद वादी और प्रतिवादी द्वारा जांचे गए गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने माना कि मुकदमें में कोई योग्यता नहीं थी और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया था। प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष अपील में फैसले और डिक्री पर सवाल उठाया गया था।

2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहली अपीलीय अदालत ने अनुमति दी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वैध विवाह की धारणा थी, क्योंकि दशकों तक राधिका और प्रतिवादी नंबर 1 एक साथ रहते थे। उनकी बेटियों की शादी राधिका सिंह द्वारा की गई थी। लोली प्रतिवादी नंबर 1 की शादी पहले मंगल कच्छी के साथ हुई थी। मंगला कोच्ची की मृत्यु के बाद लोली ने राधिका से शादी की। गौरतलब है कि वादी पक्षकार का रूख यह था कि लोली ने राधिका सिंह से शादी कर ली है मंगल कच्छी के जीवनकाल के दौरान। ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पहली अपीलीय अदालत ने कहा कि लोली द्वारा मंगल कच्छी के जीवन काल के दौरान राधिका के साथ रहना शुरू किया, इसलिए वैध विवाह की धारणा नहीं थी। पहली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय के लिए प्रश्न को तैयार किया ''क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानून में यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि एम. एस. टी. लोलीबाई राधिका सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं?''

3. पक्षों के संबंधित रुख पर चर्चा करने के बाद, उच्च न्यायालय कुछ अजीब निष्कर्ष पर पहुंचा। यह माना गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, लेकिन यह विकृत नहीं प्रतीत होते हैं।

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहली अपीलीय अदालत बिना किसी सबूत या सामग्री के अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी नंबर 1 लोली ने अपने पति के जीवनकाल के दौरान ही राधिका सिंह के साथ रहना शुरू कर दिया था। इस तरह के निष्कर्ष के आधार के बारे में किसी भी सामग्री के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है।

5. इस संबंध में ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्ष प्रासंगिक हैं। फैसले के पैराग्राफ 16 में यह उल्लेख किया गया था।

"उपरोक्त निर्णय की विषयवस्तु में अब हमें इस बात की जांच करनी है कि क्या हमारे पास लोली और राधिका सिंह की कानूनी शादी का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार है। इस संबंध में, वादी गवाह विशेषर ने कहा था अपने बयान के पैरा 9 में स्वीकार किया गया कि चार बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। लोली की सबसे बड़ी बेटी तुलसी है। रानी का जन्म गाँव पहुँचने के दो-तीन साल बाद लोली से हुआ था। लोली की तीन बेटियों की शादी राधिका सिंह ने की थी और उन्होंने इसमें योगदान भी दिया था।"

6. फिर से पैरा 18 में इसे इस प्रकार देखा गयाः

"गवाह देवधारी ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि पहले जन्मे भैयालाल मंगल के जन्म के दो-तीन साल बाद कच्छी की मृत्यु हो गई थी। लोली मजदूर के रूप में काम करता थी। वह राधिका सिंह के साथ

भी मजदूरी करती थी। राधिका  सिंह ने लोली को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखा था। लोली की बेटियाँ की शादी राधिका सिंह ने करवाई थी। राम मिलन सिंह ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि ये चारों बेटियां जीवित थी। वे राधिका और लोली से पैदा हुए थे। राधिका सिंह से पैदा हुई बेटियों का कन्यादान भी राधिका सिंह ने किया था। उन्होंने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि राधिका सिंह ने अपनी बेटियों की शादी वैश्य और ठाकुरों की बेटियों की तरह की थी। वह इस शादी में शामिल हुये थे।''

7. पैरा 24 में इसे इस प्रकार देखा गयाः

''विद्वान वकील द्वारा भी यह तर्क दिया गया है कि वादी ने कहा कि भले ही यह स्वीकार किया जाए कि लोली और राधिका सिंह कई दिनों तक पति-पत्नी के रूप में रहे और उन्हें बच्चों का आशीर्वाद मिला, फिर भी यह नही माना जा सकता कि लोली राधिका सिंह की वैध पत्नी है। क्योंकि लोली राधिका सिंह के साथ रहने लगी थी, जब उनके पूर्व पति मंगल कच्छी तब तक जीवित थे, जब तक उसे मंगल कच्छी से तलाक नहीं मिला, तब तक लोली राधिका सिंह से दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मंगल और लोली से भैयालाल पैदा होने के बाद मंगल ने लोली को घर से बाहर निकाल दिया

था। फिर लोली ने कुछ समय के लिए दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया और इसी बीच मंगल की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राधिका सिंह ने लोली को पत्नी के रूप में अपना लिया। इस तथ्य को देवधारी ने पैरा 4 में स्वीकार किया है। उनके इस कथनानुसार लोली अक्सर मजदूरी के रूप में काम करने के लिए बांदी से गाँव बोइन्टा जाती थी तब लोली को राधिका सिंह ने अपना लिया।

8. इसके विपरीत, पहली अपीलीय अदालत ने माना कि भैयालाल ( डी. डब्ल्यू. 2) जिनका जन्म लोली और मंगल से हुआ था, ने कहा था कि जब वो बहुत छोटा था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तब उसकी माँ चली गई थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि इस दौरान मंगल कच्छी के जीवनकाल में, लोली ने मंगल को छोड़ दिया जब वह जीवित था और राधिका के साथ रहने लगी थी। यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से साक्ष्य के विपरीत है। डी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब लोली आयी तो मंगल जीवित नहीं था और राधिका के साथ रहे।

9. इस समय धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') का संदर्भ दिया जा सकता है। यह प्रावधान प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। अदालत मान सकती है कि किसी भी तथ्य का अस्तित्व

जिसे वह होने की संभावना समझता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 और 14 के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि विवाह के कार्य को प्राकृतिक घटनाओं व पार्टियों के आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम से अनुमानित किया जा सकता है क्योंकि वे किसी विशेष मामले के तथ्यों द्वारा उत्पन्न होते हैं

10. मामले के इस पहलू पर कई न्यायिक घोषणाएं की गई हैं। प्रिवी काउंसिल ने दो अवसरों पर उस धारणा के दायरे पर विचार किया जो एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह के संबंध के बारे में निकाली जा सकती है। उनमें से पहले में ए. दिनोहामी बनाम डब्ल्यू. एल. ब्लाहामी (एआईआर 1927 पी. सी. 185) प्रिवी काउंसिल के उनके आधिपत्य ने सामान्य प्रस्ताव रखा कि ''जहाँ एक पुरुष और महिला के रहने का प्रमाण मिलता हैं' कानून तब तक यह मान लेगा कि वे एक साथ रह रहे थे, जब तक कि इसके स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए कि वे वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे, और उपपत्नी की स्थिति में नहीं थे।''

11. मोहब्बत अली बनाम मो. इब्राहिम खान (ए. आई. आर 1929 पी. सी. 135) , प्रिवी काउंसिल पर उनका आधिपत्य एक बार फिर स्थापित हो गया। ''जब एक पुरुष और महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते हैं तो कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के विरूद्ध मानता है।

12. यह माना गया है कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत।

13. जहाँ पति और पत्नी के रूप में साथी लंबे समय तक एक साथ रहते थे वहां, विवाह के पक्ष में धारणा होगी। अनुमान खण्डन योग्य था, लेकिन उस व्यक्ति पर एक भारी बोझ पड़ता है जो यह साबित करने के लिए संबंध को कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है कि कोई विवाह नहीं हुआ था। कानून वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीनेपन पर नाराजगी जताता है। ( देखिएः बद्री प्रसाद वी. डी. समेकन निदेशक और अन्य। (ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1557)

14. गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी एआईआर (1952 एस. सी. 211) में इस अदालत ने कहा कि महिला का पति और पत्नी के रूप में लगातार साथ रहना और कई वर्षों तक उनके साथ ऐसा व्यवहार विवाह की धारणा को जन्म दे सकता है, लेकिन ये धारणा जो शायद लंबे समय तक सहवास से लिया गया खंडन योग्य है और यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो उस धारणा को कमजोर और नष्ट कर देती हैं, तो न्यायालय उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती है।

15. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोली और राधिका का लगातार एक साथ रहना स्थापित हो गया है। वस्तुतः वादी द्वारा परीक्षित गवाहों के साक्ष्य से भी यह तथ्य स्थापित हुआ। प्रथम अपीलीय अदालत

का यह निष्कर्ष स्थापित नहीं किया गया है कि जब मंगल जीवित तब वे एक साथ रह रहे थे। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लोली और राधिका सिंह मंगल की मृत्यु के बाद एक साथ रह रहे थे।

16. स्थिति से ऊपर होने के कारण, अपील स्वीकार की जानी चाहिए जैसा कि हम निर्देशित करते हैं प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायायल के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया गया है और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।

17. अपील की अनुमति है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।